उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

संख्या-142/2022/477/22-27-सिं0-4-145(डब्ल्यू)/1994

लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के सेक्शन 11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर, बांध से सम्बन्धित राज्य समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम बांध की विफलता से सम्बन्धित अपदाओं के रोकथाम के लिए राज्य में बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन एवं रख-रखाव को सुनिश्चित किये जाने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्राविधान दिनांक 28.12.2021 की अधिसूचना के तहत दिनांक 30.12.2021 से प्रभावी हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 139 बांध है, जिसमें सोन संगठन वाराणसी में 68, सरयू परियोजना-2 गोण्डा में 11 बेतवा संगठन झांसी में 38, बेतवा परियोजना झांसी में 15, शारदा संगठन बरेली में 04, पूर्वी गंगा संगठन मुरादाबाद में 03 अत: बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के सेक्शन 11 के अन्तर्गत State Committee on Dam Safety (SCDS) के गठन का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-170/प्र0अ0/SCDS, दिनांक 23 मार्च, 2022 द्वारा निम्नवत् शासन में प्रेषित किया गया है :-

क्रमांक	समिति में पद	पदनाम
1	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।	अध्यक्ष/चेयरपर्सन
2	1. मुख्य अभियन्ता (बांध सुरक्षा)। 2. मुख्य अभियन्ता (सोन), वाराणसी। 3. मुख्य अभियन्ता (बेतवा), झांसी। 4. मुख्य अभियन्ता (बेतवा परियोजना), झांसी। 5. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद। 6. मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली। 7. मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-2), गोण्डा।	सदस्य
3	1.मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। 2.मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड। 3.मुख्य अभियन्ता, चम्बल बेतवा बेसिन, जल संसाधन विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश। 4.मुख्य अभियन्ता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर, मध्य प्रदेश। 5.मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मेदनीनगर, डाल्टेनगंज, झारखण्ड। 6.मुख्य अभियन्ता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डेहरी आन सोन, जिला औरंगाबाद, बिहार।	सदस्य
5	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नामित सदस्य (निदेशक स्तर के अधिकारी)।	सदस्य
6	इंजीनियरिंग संस्थान के हाइड्रोलोजी या डैम डिजाइन विशेषज्ञ (स्वीकृति प्राप्त-आई0आई0टी0 रूड़की, आई0आई0टी0 कानपुर, एन0आई0एच0 रूड़की)।	03 सदस्य
7	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामित सदस्य (निदेशक स्तर के अधिकारी)(स्वीकृति प्राप्त)।	सदस्य
8	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा नामित सदस्य।	सदस्य

2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त State Committee on Dam Safety (SCDS) के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(मुश्ताक अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या-/Ƚ/2022/477(1)/22-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध0शा0 पत्र संख्या-N-52011/1/2021-BM, दिनांक 01 फरवरी, 2022 के क्रम में।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (सोन), (वाराणसी/(बेतवा), झांसी/(बेतवा परियोजना), झांसी/(पूर्वी गंगा), मुरादाबाद/(शारदा), बरेली/(सरयू परियोजना-2), गोण्डा।
7. निदेशक, बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ, डा0 राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अमित प्रणव)
संयुक्त सचिव।